

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 801820/2026

तारीख दायर दावा : 12-02-2026

अग्रिम तारीख पेशी : 13-05-2026

श्री तिलक सिंह पुत्र स्व० श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव लधेरा, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री अमर जंग सपुत्र श्री देव जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 2. श्री अजय जंग सपुत्र श्री देव जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 3 श्रीमती मधू मालती सपुत्री श्री देव जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 4 श्रीमती शकुन्तला श्री देव जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 5 श्री प्रेम जंग सपुत्र श्री राम रतन, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 6 श्रीमती वसुधा पुत्री श्री श्याम जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 7 श्रीमती मोनिका पुत्री श्री श्याम जंग, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 8 श्री शचिन्द्र सिंह सपुत्र श्री किशन जंग उर्फ भूपिन्द्र सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 9. श्री दीपेन्द्र सिंह सपुत्र श्री किशन जंग उर्फ भूपिन्द्र सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 10 श्रीमती अलका देवी पुत्री श्री किशन जंग उर्फ भूपिन्द्र सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 11 श्रीमती सपना देवी पुत्री श्री किशन जंग उर्फ भूपिन्द्र सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 12 श्रीमती सीमा देवी पुत्री श्री किशन जंग उर्फ भूपिन्द्र सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 13 श्री महेश कुमार पुत्र श्री शिव जंग, निवासी गांव ककीरा जरेई, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 14 श्री राजेश गुरुंग सपुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 15 श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री राम सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र०, 16, श्रीमती शीला देवी पुत्री मोहन सिंह, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर व उप-तहसील ककीरा, जिला चंबा हि०प्र० प्रत्यार्थीगण।

दरखास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं० 2/3, खसरा नम्बर 152, 153, 154, 155, 156, 157, कित्ता 6, रकबा तादादी 12-12-07 वर्ग गज मुहाल ककीरा, कस्बा उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा ककीर के 2/3, खसरा नम्बर 152, 153, 154, 155, 156, 157, कित्ता 6, रकबा तादादी 12-12-07 वर्ग गज मुहाल ककीरा, कस्बा उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की तकसीम करवाने हेतु दरखास्त गुजारी है। लेकिन प्रत्यार्थी नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 को बार-बार समन जारी किये गये। लेकिन समनों की तामील नहीं हो पा रही है। अधोहस्ताक्षरी को यकीन हो चुका है कि इन्हें समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 13-05-2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 09-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री मंजूर मुहमद पुत्र श्री हसना, निवासी गांव कशिरी, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा
(हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(a) के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में
नाम दुरुस्ती।

श्री मंजूर मुहमद पुत्र श्री हसना, निवासी गांव कशिरी, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा
(हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड,
ई श्रम कार्ड में मंजूर मोहमद दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् मुहाल लांगोई की जमाबंदी वर्ष 2022-23
के खाता क्रमशः 64/94 में उनका नाम मंजूर दर्ज है, जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती
करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी
द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज है तो
उजरकर्ता दिनांक 18-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा
किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर
पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं
तारीख पेशी अर्थात् 28-03-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 17-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरिंदर कुमार पुत्र श्री धारु, निवासी गांव टप्पर, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा
(हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(a) के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती।

श्री सुरिंदर कुमार पुत्र श्री धारु, निवासी गांव टप्पर, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर में सुरिंदर कुमार दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् मुहाल जटोता की जमाबंदी वर्ष 2021-22 के खाता क्रमशः 30/38 में उनका नाम सुमिन्द्र सिंह दर्ज है, जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 18-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 28-03-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 17-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री कैलाश चंद पुत्र श्री ज्ञान चंद, निवासी गांव शल्ला, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(a) के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती।

श्री कैलाश चंद पुत्र श्री ज्ञान चंद, निवासी गांव शल्ला, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम वोटर कार्ड, आधार कार्ड और नकल परिवार रजिस्टर में कैलाश चंद दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् मुहाल शल्ला की जमाबंदी वर्ष 2023-24 के खाता क्रमशः 1/1 में उनका नाम कैलास कुमार दर्ज है, जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 18-05-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 28-03-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 17-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24 ना0 तह0/वाचक/उप-तह0/तेलका/2026250, 251

दिनांक : 07-04-2026

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री देस राज, गांव गगलू, डाकघर अन्दराल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2026-1558 Dated 23-01-2026.
2. शपथ-पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र

जिसमें आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री देस राज, गांव गगलू, डाकघर अन्दराल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 23-01-2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार पुत्र श्री देस राज, गांव गगलू, डाकघर अन्दराल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 12-09-1981 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री देस राज, गांव गगलू, डाकघर अन्दराल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 24 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2026253-254

दिनांक : 07-04-2026

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चतरो, गांव द्रोड़, डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भजोत्रा, विकास खण्ड सलूणी प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2026-1557 Dated 23-01-2026.
2. शपथ-पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र

जिसमें आवेदक श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चतरो, गांव द्रोड़, डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 23-01-2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चतरो, गांव द्रोड़, डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 10-03-1989 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चतरो, गांव द्रोड़, डाकघर भजोत्रा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 24 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2026265-66

दिनांक : 07-04-2026

आवेदिका वीना देवी पुत्री श्री चतरो, गांव कुण्ड, डाकघर बड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बड़का, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2026-4372 Dated 03-03-2026.
2. शपथ-पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र

जिसमें आवेदिका वीना देवी पुत्री श्री चतरो, गांव कुण्ड, डाकघर बड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 03-03-2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वीना देवी पुत्री श्री चतरो, गांव कुण्ड, डाकघर बड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1975 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका वीना देवी पुत्री श्री चतरो, गांव कुण्ड, डाकघर बड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

आवेदिका डोगरी पुत्री श्री सिंघु राम, गांव कसनी, डाकघर मौड़ा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मौड़ा, विकास खण्ड सलूणी प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2026-3975 Dated 26-02-2026.
2. शपथ-पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र

जिसमें आवेदिका डोगरी पुत्री श्री सिंघु राम, गांव कसनी, डाकघर मौड़ा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 26-02-2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका डोगरी पुत्री श्री सिंघु राम, गांव कसनी, डाकघर मौड़ा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 24-06-1982 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका डोगरी पुत्री श्री सिंघु राम, गांव कसनी, डाकघर मौड़ा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री नन्द लाल पुत्र श्री माली राम, गांव व डाकघर सालंवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
...वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालंवा, विकास खण्ड सलूणी
...प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2026-4373 Dated 03-03-2026.
2. शपथ-पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र

जिसमें आवेदक श्री नन्द लाल पुत्र श्री माली राम, गांव व डाकघर सालंवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 03-03-2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री नन्द लाल पुत्र श्री माली राम, गांव व डाकघर सालंवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-01-1974 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री नन्द लाल पुत्र श्री माली राम, गांव व डाकघर सालंवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 24 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2026256-57

दिनांक : 07-04-2026

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव झोडा व डाकघर बाड़का, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
...वादिया।

बनाम

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा ।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2025-25313 Dated 16-12-2025.
2. शपथ—पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण—पत्र

जिसमें आवेदिका श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव झोडा व डाकघर बाड़का, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री काजल देवी की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में काजल का जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 16—12—2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव झोडा व डाकघर बाड़का, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री काजल देवी की जन्म तिथि 12—05—2009 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, गांव झोडा व डाकघर बाड़का, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री काजल देवी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव करवाल को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07—04—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

तेज राम पुत्र श्री जगतू, गांव ढलूँई, डाकघर मसरुंड, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी ।

बनाम

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2848/2025 दिनांक 20-04-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/8379, दिनांक 20-04-2025, (2) शपथ पत्र आवेदका, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) आधार कार्ड जिसमें आवेदक तेज राम पुत्र श्री जगतू गांव ढलूंई, डाकघर मसरुंड, ग्राम पंचायत मसरुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक तेज राम पुत्र श्री जगतू गांव ढलूंई, डाकघर मसरुंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 20-04-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि तेज राम पुत्र श्री जगतू गांव ढलूंई, डाकघर मसरुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 07-01-1956 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक तेज राम पुत्र श्री जगतू गांव ढलूंई, डाकघर मसरुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मसरुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री जीवन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, गांव सांडली, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कन्दला विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2060/2025 दिनांक 04-04-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/7272, दिनांक 02-04-2026, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, जिसमें आवेदक श्री जीवन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, गांव सांडली, डाकघर कन्दला, ग्राम पंचायत कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री जीवन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, गांव सांडली, डाकघर कन्दला का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो

नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 02-04-2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री जीवन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, गांव सांडली, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 19-03-1991 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री जीवन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, गांव सांडली, डाकघर कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कन्दला को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

चीनो देवी पुत्री श्री देवो, गांव घटटा, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
वादिवादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा
प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना10) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2426/2026, दिनांक 07-04-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/7269, दिनांक 02-04-2026, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका चीनो देवी पुत्री श्री देवो, गांव घटटा, डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका चीनो देवी पुत्री श्री देवो, गांव घटटा, डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 02-04-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चीनो देवी पुत्री श्री देवो, गांव घटटा, डाकघर चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-01-1966 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका चीनो देवी पुत्री

श्री देवो, गांव घटटा, डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

चमन सिंह पुत्र श्री चतरो, गांव रूआड़ी, डाकघर सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2003/2025 दिनांक 02-04-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/7282, दिनांक 02-04-2026, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, जिसमें आवेदक चमन सिंह पुत्र श्री चतरो, गांव रूआड़ी, डाकघर सिढकुंड, ग्राम पंचायत सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक चमन सिंह पुत्र श्री चतरो, गांव रूआड़ी, डाकघर सिढकुंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 02-04-2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चमन सिंह पुत्र श्री चतरो, गांव रूआड़ी, डाकघर सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 04-09-1970 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक चमन सिंह पुत्र श्री चतरो, गांव रूआड़ी, डाकघर सिढकुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

नाथो राम पुत्र श्री परस राम, गांव सतापर, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 372/2025 दिनांक 19-01-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/16526, दिनांक 31-07-2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, जिसमें आवेदक नाथो राम पुत्र श्री परस राम, गांव सतापर, डाकघर सन्धी, ग्राम पंचायत दुलाहर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्ही कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक नाथो राम पुत्र श्री परस राम, गांव सतापर, डाकघर सन्धी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 31-07-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नाथो राम पुत्र श्री परस राम, गांव सतापर, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 27-05-1966 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक नाथो राम पुत्र श्री परस राम, गांव सतापर, डाकघर सन्धी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 18/2026 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2026/

तारीख दायर : 17-04-2026

भतो देवी विधवा श्री लच्छो, गांव ढढोली, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र ।

इशतहार/मुश्री मुनादी ।

भतो देवी विधवा श्री लच्छो, गांव ढढोली, परगना राजनगर, उप तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन—पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, बैंक पास बुक में भतो देवी विधवा श्री लच्छो दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल निहुंई, पटवार वृत्त टिकरी में कान्ता देवी विधवा लच्छो व मुहाल सुकरैठा व पटवार वृत्त टिकरी में फन्दो पुत्री श्रीमती मंगला दर्ज है, जोकि गलत है ।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इशतहार/मुश्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं । बाद तारीख किसी भी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम मुहाल निहुंई में कान्ता देवी विधवा लच्छो की जगह कान्ता देवी उर्फ भतो देवी विधवा श्री लच्छो व मुहाल सुकरैठा पटवार वृत्त टिकरी में फन्दो पुत्री श्रीमती मंगला की जगह दर्ज फन्दो उर्फ भतो देवी पुत्री श्रीमती मंगला करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त टिकरी को पारित कर दिए जाएंगे ।

ये इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17-04-2026 को जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर/तहसील/रीडर/2026

तारीख पेशी : 30-04-2026

चतरो पुत्र श्री फानू, निवासी गांव/मुहल्ला फोल्मात, डाकघर राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजपुरा

विषय.—जन्म/मृत्यु

इस अदालत में उप—मण्डलाधिकारी (ना10) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या—1642/2026, दिनांक 18-03-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1 जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026-4925, दिनांक 10-03-2026, शपथ—पत्र, अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण—पत्र जिससे प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री विशेषर, निवासी गांव/मुहल्ला फोल्मात, डाकघर राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अपने दादा की मृत्यु तिथि 17-12-1994 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत राजपुरा के कार्यालय अभिलेख में

दर्ज न हुई है, जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि अपने दादा की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत राजपुरा के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री विशेषर, निवासी गांव/मुहल्ला फोल्गात, डाकघर राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अपने दादा की मृत्यु तिथि 17-02-1994 को ग्राम पंचायत राजपुरा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की भतीजी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।
